# अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुराना सचिवालय, पटना

## अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991

प्रस्तुति जाबिर हुसेन जोगिंदर सिंह जोगी एस एन दास

## बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुराना सचिवालय, पटना

#### प्रस्तावना

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 का हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा इस अधिनियम का प्राधिकृत उर्दू पाठ तैयार होते ही उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अधिनियम की प्रतियां प्रकाशित करायी जाएं।

अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद विशेष तौर पर आयोग के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। यही कारण है, आयोग को प्राप्त होनेवाली सूचनाओं तथा शिकायत-पत्रों की संख्या में भी प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

आयोग ने अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों की परिधि में यथासंभव प्रत्येक मामले में कारगर कदम उठाने की कोशिश की है। आयोग के प्रयासों से कई जटिल एवं वर्षों से लंबित मामलों का न्यायोचित निपटारा किया जा सका है। कई महत्वपूर्ण मामलों में आयोग के परामर्श से राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित और न्याय के आधार पर फैसले किए हैं।

परन्तु आयोग की अपनी सीमाएं भी हैं। आयोग किसी निर्वाचित सरकार का विकल्प नहीं है और न इसके हाथों में अपनी अनुशंसाओं के अंतिम कार्यान्वयन की कार्यपालक शक्तियां हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी आयोग को ऐसी शक्तियां दी भी नहीं जा सकतीं। ऐसी शक्तियों की चाहत रखना भी आत्मघाती है।

हम आयोग को कानूनी अधिकार देने तथा कार्यपालिका स्तर पर इसकी सिफारिशों को प्रभावी आयाम देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आयोग के कार्यों में उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी हमारी प्रेरणा का आधार है।

जाबिर हुसेन

## विधि विभाग

## अधिसूचना संख्या एल. जी. 1-038/91 लेज-359 दिनांक 12 अगस्त, 1991

बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 11 अगस्त, 1991 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

## (बिहार अधिनियम 7, 1991)

## बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991

राज्य के धार्मिक एवं भाषाई अल्प-संख्यकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने, उनसे संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अन्वेषण एवं अन्य संबंधित विषयों के लिये एक आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों-कर्तव्यों के प्रावधान हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

- 1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-
- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1991 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
  - (क) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग;
  - (ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
  - (ग) "अल्प-संख्यकों" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में रहनेवाले धार्मिक एवं भाषाई अल्प-संख्यक वर्ग के लोग, जिन्हें सरकार ने ऐसे अल्प-संख्यक होने की मान्यता प्रदान की हो;
  - (घ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित;
  - (ङ) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित खंडों के अन्तर्गत आता है, यथा—

- (i) कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के क्रिया-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त हो;
- (ii) कोई ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित किसी प्राधिकार की सेवा
  में हो या उससे वेतन प्राप्त करता हो—
  - (क) राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकार जो सरकारी गजट में अधिसूचित हो;
  - (ख) राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या निगम जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;
  - (ग) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या सोसाइटी निबंधन अधिनियम, 1860 के अधीन निबंधित कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो और राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त अधिसूचित हो;
  - (घ) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य।
- 3. आयोग का मुख्यालय—(1) आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा।
- (2) सरकार राज्य में आयोग का एक या इससे अधिक कार्यालय राज्य के किसी स्थान पर स्थापित कर सकेगी।
- 4. आयोग का गठन—(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्य-रूप देने के लिये सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग कहलायेगा।
- (2) आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- 5. आयोग की पदावधि—आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत किसी व्यक्ति की पदावधि उसके पद भार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की होगी:

परन्तु यह कि (क) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित लिखित रूप में सरकार को संबोधित कर अपना पदत्याग कर सकेगा।

(ख) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या कदाचार अथवा कर्तव्यविहीनता या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण जनहित में आयोग से उसे हटाना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उसे उस पद से हटा सकेगी।

- 6. आयोग के कार्य-(1) आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे :-
- (क) राज्य के अल्प-संख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत संविधान में एवं राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियों में उपबंधित विभिन्न सुरक्षाओं के कार्यकरण की जाँच करना;
- (ख) उप-खड (क) में यथाउल्लेखित ऐसी सुरक्षाओं और विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्त्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुशंसाएं करना;
  - (ग) राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण हेतु राज्य सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;
    - (घ) राज्य के अल्प-संख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये अध्ययन, शोध, विश्लेषण तथा अनुशंसाएं करना;
    - (ङ) ऐसी अनुशंसा करना, जो राज्य के अल्प-संख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक और समुचित समझी जाये;
    - (च) राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना सुरक्षित, बहाल एवं प्रोत्साहित करने के लिये अनुशांसा करना;
    - (छ) सरकार को विहित अन्तराल पर आवधिक रिपोर्ट भेजना।
- (2) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर, राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण और उनकी शिकायतों के निराकरण के संबंध में आयोग को ऐसे अतिरिक्त कार्य सौंप सकेगी, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।
- 7. आयोग की हैसियत और परिलब्धियां—सरकार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को ऐसी हैसियत प्रदान करेगी और ऐसे वेतन-भत्ते का भुगतान करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाएं मंजूर करेगी जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाय।
- 8. अन्वेषण का अधिकार—आयोग को व्यथित व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा परिवाद के जरिये या किसी अन्य विश्वस्त स्रोत से उसकी जानकारी में लाये गये निम्नलिखित मामलों की जांच करने का अधिकार होगा—
  - (क) भारतीय संविधान या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियों द्वारा अल्प-संख्यकों को दिये गये किसी अधिकार और सुरक्षा का उल्लंघन;

- (ख) किसी अल्प-संख्यक समुदाय के पूजा-स्थल तथा कब्रगाह का अधिक्रमण;
- (ग) ऐसी परिस्थिति या और कारण जो विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच घृणा या संघर्ष का वातावरण उत्पन्न करे, ऐसी स्थिति पैदा करने का कारण बने या लगे कि ऐसी स्थिति पैदा करेगा और;
  - (घ) राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण, संरक्षण एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला :
- परन्तु आयोग किसी ऐसे मामले का अन्वेषण नहीं करेगा, जो किसी न्यायालय या अधिकरण या अर्द्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष लम्बित हो।
- 9. अन्वेषण की प्रक्रिया—(1) यदि आयोग इस अधिनियम के अधीन जांच करने का प्रस्ताव करे तो वह—
  - (क) परिवाद की एक प्रतिलिपि या उसका सारांश संबद्ध प्राधिकारी, विभाग या लोक सेवक को भेजेगा और परिवाद में दिये गये विवरणों के संबंध में उसकी रिपोर्ट या मन्तव्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर मांगेगा;
    - (ख) संबंधित स्थान पर व्यथित व्यक्ति या संस्था एवं संबंधित व्यक्तियों के साथ परिवादित मसले पर विचार-विमर्श हेतु आयोग या इसके किसी सदस्य के साथ बैठक नियत एवं आयोजित करेगा।
- (2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय किसी निश्चित मामले की जांच करने की प्रक्रिया वही रहेगी जैसा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम में विहित है।
- (3) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण प्रारम्भ हो जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषणाधीन मामले के संबंध में आगे कार्रवाई करने में लोक सेवक बाधित नहीं होगा।
- (4) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आयोग किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसे दस्तावेज की प्रति पेश करे;

परन्तु वैसे दस्तावेज की प्रति की आपूर्ति नहीं की जायेगी जो राज्य

#### हित या जनहित के विरुद्ध हो।

- (5) आयोग को निम्नलिखित विषयों के बारे में शक्तिया होंगी :-
- (क) किसी भी व्यक्ति को आह्वान करे एवं उसे शपथ पर परीक्षा करे, वैसे व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने या संदेह उपस्थित होने के मामले में आयोग के निर्देश की अवज्ञा करने पर, वह व्यक्ति आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा;
- (ख) किसी कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
- (ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन बहाल करना;
- (घ) अन्य ऐसे विषय, जो विहित किये जायें।
- (6) किये जाने वाले अन्वेषण के स्वरूप और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार की यह राय हो कि जांच कमीशन अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा 2 या 3 या 4 अथवा 5 के सभी या कोई भी उपबंध आयोग पर लागू किया जाय तो सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि सभी या उक्त उपबंध, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आयोग पर लागू होगा और ऐसी अधिसूचना के निर्गत होने पर, उपबंध तदनुसार लागू होगे।
- 10. एजेंसियों की सेवाओं के उपयोग करने की शक्ति—आयोग, इस अधिनियम के अधीन, अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या राज्य सरकार के अन्वेषी एजेंसी की सेवा का उपयोग कर सकेगा।
- 11. आयोग को दिया गया बयान—आयोग, धारा 10 में यथाउपबंधित पदाधिकारी या एजेंसी के समक्ष साक्ष्य देने के क्रम में आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये बयान का उपयोग उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में नहीं किया जा सकेगा और न ही इस बयान के आधार पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की जा सकेगी, किन्तु ऐसे बयान द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अभियोजन चलाया जा सकेगा।
- 12. परित्राण-इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य या आयोग के अधिकार के अधीन दी गयी किसी रिपोर्ट या कार्यवाही के लिये आयोग या इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जो

आयोग के निदेशानुसार कार्य कर रहा हो, के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

- 13. रिक्तियों का भरा जाना या आयोग के गठन के परिवर्तन—(1) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य के पद त्याग के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति के होने पर भी आयोग कार्य करता रहेगा।
- (2) सरकार किसी प्रक्रम में ऐसी रिक्ति भर सकेगी, जो आयोग में हुई हो।
- (3) जहां आयोग के कार्यरत रहने के दौरान भरी गयी किसी रिक्ति के कारण या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई परिवर्तन हुआ हो, वहां उस परिवर्तन के कारण आयोग द्वारा पहले से किये गये किसी अन्वेषण, कार्यवाही या कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 14. अध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे—आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या हर सदस्य अथवा हर पदाधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत हो, भारतीय दंड-संहिता 45, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।
- 15. आयोग की प्रक्रिया—इस निमित्त बनाये जाने वाले नियमों के अध्यधीन आयोग को अपनी प्रक्रिया, जिसमें बैठकों के स्थान एवं समय निर्धारण भी शामिल हैं, विनियमित करने का अधिकार होगा।
- 16. आयोग का स्टाफ—(1) सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिव या सरकार द्वारा मनोनीत कोई पदाधिकारी जो उप-सचिव से नीचे स्तर का न हो आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा।
- (2) सरकार आयोग को ऐसा अन्य स्टाफ उपलब्ध करायेगी जैसा आयोग के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित हो।
- 17. रिपोर्ट का उपस्थापन—(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के बारे में प्रति वर्ष एक समेकित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (2) आयोग अपने विवेक के अनुसार सार्वजनिक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में समय-समय पर अपनी विशेष रिपोर्ट सरकार को देगा।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट या उप-धारा (2) के अधीन विशेष रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार व्याख्यात्मक संलेख के साथ उसकी प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवायेगी।

18. नियम बनाने की शक्ति—(1) सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध किया

जा सकेगा;

(क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत का निर्धारण;

(ख) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों तथा सेवा-शर्तों का निर्धारण;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है या जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई उपबंध है और सरकार की राय में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि तक रखा जायेगा जो चाहे एक ही सत्र में पूरी हो या लगातार दो सत्रों में और यदि जिस सत्र में वह इस प्रकार रखा गया हो, उसके या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने में सहमत हो जायें या दोनों सदन इसके लिये सहमत हो जायें कि वह नियम बनाया ही न जाय तदुपरान्त वह नियम यथास्थिति ऐसे उपांतरण रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी ही न होगा फिर किसी उपांतरण या वातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

The state of the second of the

## [BIHAR ACT 7, 1991]

### BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION ACT, 1991

#### विधि-विभाग

अधिसूचना संख्या एल. जी. 1-038/91-लेज 374 दिनांक 18 सितंबर, 1991

बिहार-राज्यपाल द्वारा 11 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित बिहार राज्य अल्सपंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम संख्या 7, 1991) का निम्नलिखित अग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :—

TO MAKE PROVISION FOR THE APPOINTMENT AND FUNCTION OF A COMMISSION FOR INVESTIGATING, ENSURING AND SAFEGUARDING OF RIGHTS CONFERRED UPON RELIGIOUS AND LINGUISTIC MINORITIES OF THE STATE BY THE CONSTITUTION OF INDIA AND OTHER CONNECTED MATTERS.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Forty-Second Year of the Republic of India, as follows:—

#### CHAPTER I

- 1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the Bihar State Minorities Commission Act, 1991.
  - (2) It shall extend to the whole of State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires—
  - (a) 'Commission' means the Bihar State Minorities Commission, as constituted under section 4 of the Act.
  - (b) 'Government' means Government of Bihar.
  - (c) 'Minorities' means the persons belonging to religious and linguistic minorities residing in the State of Bihar to whom the Government has recognised as minorities.
  - (d)' Prescribed' means prescribed by rules made

under this Act.

- (e) 'Public Servant' means such person falling under the following clauses, namely:—
  - (i) any such person appointed to a Public service or post in connection with the affairs of the State;
  - (ii) any such person who is in service or draws pay of the following :—
  - (a) any local authority in the State which is notified in the Official Gazette;
    - (b) any Board or Corporation established by or under the State Act and owned or controlled by the State Government.
    - (c) any society registered under the Cooperative Societies Act, 1912 or Societies Registration Act, 1860 which is under to the control of the State Government and notified by the State Government in this behalf in the Official Gazette.
  - (d) 'State' means the State of Bihar.
    - 3. Headquarters of Commission—(1) The headquarters of the Commission shall be established at Patna.
    - (2) The Government may establish one or more offices of the Commission at any other place in the State.
    - 4. Constitution of Commission—(1) The Government shall constitute a commission, called Bihar State Minorities Commission for the purposes of carrying out the objects of this Act.
    - (2) the commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairmen and maximum eight other Members who shall be nominated by the State Government.
    - 5. Term of Commission—(1) The term of the nominated Chairman, Vice-Chairmen or Member of the Commission shall be for a term of three years from the date he assumes the charge of his office. Provided that—
      - (a) the Chairman, Vice-Chairman or any Member of the Commission may resign from his office by writing under his signature addressed to the

Government;

(b) if at any time, it appears to the State Government that the Chairman, Vice-Chairman or any Member of the Commission is unfit to hold his office or has been found to be guilty of misconduct or neglect of duties or abuse of power, which renders his removal from office of the Commission, necessary in public interest, the State Government may by notification in the official gazette, remove him from such office.

6. Functions of Commission—(1) The functions of the

Commission shall be as follows:-

- (a) to examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India, and the law passed by the State Legislature for protection of minorities of the State;
- (b) to make recommendations with a view to ensuring effective implementation and enforcement of such safeguards and laws, as mentioned in sub-clause (a)
- (c) to undertake review of the implementation of policies and schemes of the State Government for the welfare of minorities of the State;
- (d) to conduct studies, researches and analysis and make recommendations for the socio-economic uplift of the minorities of the State;
- (e) to make such recommendations as may be deemed necessary and proper for ensuring protection of rights and interests of the minorities of the State;
- (f) to make recommendations for ensuring, maintaining and promoting communal harmony in the State;
- (g) to make periodical reports at prescribed intervals to the government.
- (2) The Government may by notification in the official gazette, confer upon the Commission such additional functions in relation to the welfare and redress of grievances of the minorities of the State, as may be specified in the notification.

- 7. Status and emoluments—(1) The Government may from time to time, provide such status to the Chairman, Vice-Chairman or Members of the Commission and pay such salary, allowances and grant other facilities as may be prescribed.
- 8. Power to investigate—(1) The Commission shall have power to examine the following matters, brought before it either by a complaint by the aggrieved person or by any institution or brought to the notice of the Commission from any other reliable source—
  - (a) violation of any right, safeguard provided to the minorities by the Constitution of India or by any law passed by the State Legislature;
  - (b) encroachment upon any place of worship and graveyard belonging to the minority community;
  - (c) such circumstances and causes which may create an atmosphere of hatred or conflict or tend to create such atmosphere appearing to create hatred or conflict between different communities; and
  - (d) any other matter connected with the welfare, protection and safety of minorities of the State:

Provided that the Commission shall not investigate into any such matter which is pending before any court or Tribunal or Quasi judicial body.

- Procedure for investigation —(1) If the Commission proposes to conduct an investigation under this Act, it may—
  - (a) forward a copy of complaint or substance thereof to the concerned authority, department or public servant and call for a report or comments about the statements made in the complaint, within a specified time;
  - (b) shall fix and organise meeting of the Commission or its Members at the concerned place, with the aggrieved persons or institutions or with persons concerned to discuss the issue complained.

(2) Excepting the above the procedure for (2) Excepting the action of any particular matter conducting any investigation of any particular matter conducting any investigation of the shall be such as may be prescribed by rules under this

(3) The initiation of an investigation under this Act shall not prevent any public servant from taking any further action in the matter under investigation.

(4) For the purposes of conducting any investigation under this Act, the Commission may require any public servant or any other person, who in the opinion of the Commission, is able to furnish information or produce document, relevant to the investigation, to furnish any such information or produce copy of such document:

Provided that copy of such document shall not be furnished, the supply of which is detrimental to the interest of the State and in Public interest.

(5) The Commission shall have powers in respect of the following matters namely :-

- (a) Summon any person and examine him on oath. Non-compliance of direction of the Commission by such person, in matters of production of documents and in appearance in person, shall make him liable for disciplinary action by the Government on the recommendation of the Commission;
  - (b) Requisition any public record or copy thereof from any office;
    - (c) issue commission for the examination of witnesses or documents;
    - (d) such other matters as may be specified.
- (6) If the Government is of opinion that, the nature of the investigation to be made and other special circumstances of the case, all or any of the provisions of sub-section (2) or (3) (4) or (5) of Section 5 of the Commission of Enquiry Act, 1952 be made applicable to the Commission, the Government may, by notification in the official gazette, direct that all or any of the said provisions, as may be specified in the notification, shall apply to the Commission and on the issue of such notification said provisions shall apply accordingly.

- 10. Power to utilise services of agencies—The Commission may, for the purposes of conducting any investigation under this Act, utilise the services of any Officer or investigating agency of the State Government with the prior approval of the State Government.
- 11. Statement made to the Commission—No statement made by a person to the Commission in the course of giving evidence either before the Commission or before the officer or agency as provided in Section 10 shall be used against him in any civil or criminal proceeding and shall not be used against him in civil or criminal proceeding on the basis of such statement but for giving such false statement prosecution shall be started against him.
- 12. Protection of action taken in good faith—No suit, proceeding or other legal action shall lie against the Commission or Chairman, Vice-Chairman or any Member thereof or any person acting under the direction of the Commission, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act, by or under the authority of the Commission or any report, paper or proceedings of the Commission.
- 13. Filling of vacancy or change in constitution of Commission— (1) The Commission shall continue to function notwithstanding any vacancy caused by reason of resignation or otherwise of Chairman, Vice-Chairman or of any Member of the Commission.
- (2) The Government may at any stage fill such vacancy in the Commission.
- (3) If during the continuation of the Commission, a change has taken place in the constitution of the Commission by reason of any vacancy having been filled or by any other reason; it shall not affect any investigation, proceedings or action already taken by the Commission.
- 14. Chairman etc. to be public servants—The Chairman, Vice-Chairman and every Member of the Commission and every officer appointed or authorised by the Commission to exercise functions under this Act shall be deemed to be public servant within the meaning

of Section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

15. Procedure of Commission—The Commission shall, subject to any procedure made in this behalf, have powers to regulate its own procedure, including the fixing of places and time of its meetings.

- 16. Staff of the Commission— (1) The secretary of the administrative department of the Government or any officer not below the rank of Deputy Secretary nominated by the Government shall be the ex-officio Member-Secretary of the Commission.
- (2) The Government shall provide such other staff to the Commission, as may be required for the proper functioning of the Commission.
- 17. Submission of Reports—(1) The Commission shall present annually a consolidated report on the performance of its functions under this Act to the Government.
- (2) The Commission may, at its discretion, submit from time to time special reports on any matter of public importance to the Government.
- (3) On receipt of the annual report under sub-section (1) or a special report under sub-section (2), the Government shall lay a copy thereof, with an explanatory memorandum before each House of the State Legislature.
- 18. Power to make rules—(1) The Government may, by notification, in the official gazette, make rules for the purposes of carrying out the provisions, of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality or the foregoing provisions, such rules may provide for—
  - (a) to determine the status of Chairman and Vice-Chairman of Commission;
  - (b) the salary, allowance and other emoluments payable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Commission and other conditions of their service;
  - (c) any other matter, which is to be or may be prescribed in pursuance of the provisions of the Act and that provision is in the opinion

of Government necessary for the proper implementation of this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall hereafter have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be, without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

🖵 संख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी। उस्त वा तम सन्य समय

की यह राय है कि उस्त आयोग के प्रभावी सवावन को स्विधियत करने

ना जीन आयोग नांचितितम 1952 (सन्तीय नांचित्रम

विश्वार याच्य धामिक एवं भाषायी अन्यसंख्यक आयोग पर लागू

- 1952) की धारा 11 दास प्रत्म प्रांकियों का प्रयोग करते हुए कि तह सकार

इसका द्वारा यह लियेश करती है कि उक्त अहित्यमं की धारा-व के उपवध

प्रयोग करते हुए विहार सरकार यह भी निवेश करती है कि उस्त, अधि। उस

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 1 द्वारा प्रदेश तासित्यों है।

उपयापा (2), (3), (4) और (5) के उपया भी उक्त ादात वर कावा

ऐसी जीच पदताल के प्रयोजन को छ्यान में रक कर विहास सरकार

Fact vesses incomes

## बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग

### अधिसूचना संख्या 323 दिनांक 16.2.1991

विषय: बिहार राज्य धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को प्रभावी बनाने हेतु कतिपय शक्तियाँ प्रदान करने के सबंध में।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 5742 दिनांक 26 अप्रील, 1971 में वर्णित सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों में जाँच पड़ताल करने और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बिहार राज्य धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी। उक्त आयोग का समय-समय पर अवधि-विस्तार एवं पुनर्गठन किया जाता रहा है।

ऐसी जाँच पड़ताल के प्रयोजन को ध्यान में रख कर बिहार सरकार की यह राय है कि उक्त आयोग के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग को कतिपय शक्तियाँ प्रदान करना आवश्यक है।

अतः जाँच आयोग अधिनियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 60, 1952) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार इसके द्वारा यह निर्देश करती है कि उक्त अधिनियम की धारा-4 के उपबंध बिहार राज्य धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग पर लागू होंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए बिहार सरकार यह भी निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबंध भी उक्त आयोग पर लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश सै, ए० सी० रंजन सरकार के अपर सचिव

सौजन्य : बिहार सिख प्रतिनिधि बोर्ड,गुरुनानक भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ,पटना

Printed by Laser Printer, Nayatola, Kazipr, Patna-4, Call: 65-0716